निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 79/2016 | 23.8.2016 | 25.5.2018 |

1. रामेश्वर पुत्र गिर्राज, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. मु0असरफी पत्नि गिर्राज, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. औमप्रकाश पुत्र गिर्राज, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. हरिओम दत्तक पुत्र मिश्रीलाल, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर
4. लक्ष्मीकान्त पुत्र हरिचरण, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
5. जुगलकिशोर पुत्र हरिचरण, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
6. शान्ति बेवा हरिचरण, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
7. सन्तराबेवा दामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
8. रामबाबू पुत्रदामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
9. राधामोहन पुत्रदामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
10. कल्लू पुत्रदामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
11. कमलेश पुत्री जगदीश, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
12. मिथलेशपुत्री जगदीश, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
13. सीमा पुत्री जगदीश, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
14. दीपकपुत्र जगदीश नाबालिग संरक्षक माता खुद सीतादेवी पत्नि जगदीश ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
15. सीतादेवीपत्नि जगदीश,ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :—श्रीमती प्रतिभा सोनी, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण ने इस आशय का पेश किया है कि ग्राम खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी में भूमि साबिक ख0नं0 125/2 रकबा 3 विस्वा व ख0नं0 130 रकबा 6 बीघा 12 विस्वा की खातेदारी मिश्री लाल 1/3, भैरूलाल 1/3 पिसरान हरनारायण, जगदीश, रामेश्वर, औमप्रकाश पिसरान गिर्राज प्रसाद 1/3 जमाबंदी सं0 2028 से 2031 में दर्ज है। वादी सं0 1 के पिता गिर्राज प्रसाद व भौरीलाल व मिश्रीलाल तीनों सगे

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

भाई थे। वादिया के पिता गिर्राज प्रसाद का इन्तकाल हो चुका है। उसके तीन पुत्र व वादिया असरफी है। इनमें वादी संख्या 1 का भाई जगदीश का भी इन्तकाल हो चुका है उसके पुत्र दीपक, पुत्री कमलेश, मिथलेश, सीमा व पत्नि सीतादेवी है। हरिओम जो कि वादी सं0 1 का खास भाई रहा है, वह वादी संख्या 1 के पिता गिर्राज प्रसाद के खास भाई मिश्रीलाल के यहां दि0 6.12.1983 को गोद जा चुका है जिसकी गोदनामे की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहां हो चुकी है। अब हरिओम का गिर्राज प्रसाद की चल व अचल सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं है। भौरीलाल के दो पुत्र हरिचरण व दामोदर हुए जिनका देहान्त हो चुका है। हरिचरण के वारिस उसके दो पुत्र लक्ष्मीकांत व जुगलकिशोर, पत्नि शान्ति, दामोदर के वारिस उसके पुत्र रामबाबू, कल्लू व राधामोहन व पत्नि सन्तरा है। नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 3.7.71 से औमप्रकाश के नाम का नामान्तरकरण गलत दर्ज हुआ है। गिर्राज की विरासत जो दर्ज की गई है उसमें गिर्राज प्रसाद की बेवा असरफी का नाम ही दर्ज नहीं है उसकी जगह औमप्रकाश दर्ज कर दिया जबकि ओमप्रकाश नाम का कोई व्यक्ति वादी के परिवार में नहीं था बल्कि हरिओम था जो मिश्रीलाल के यहां गोद जा चुका है। इस प्रकार अभिलेख में औमप्रकाश का नाम गलत चल रहा है। साबिक ख0नं0 125/2 व 130 के हाल ख0नं0 427 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 440 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 442 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 1.83 है0 कायम किए गए हैं। उक्त भूमि में से सन्तरा बेवा दामोदर, रामबाबू, राधामोहन, कल्लू पिसरान दामोदर का 1/6 हिस्सा राजस्थान आवासन मण्डल में जा चुका है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर घोषित फरमाया जावे कि हाल ख0नं0 427 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 440 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 442 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 1.83 है0 ग्राम खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी से ओम प्रकाश पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण के नाम का अंकन निरस्त फरमाया जावे व मु0 असरफी बेवा गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा के नाम का इन्द्राज खातेदारी दर्ज किया जावे व इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे। नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 3.7.71 ग्राम खानपुरबडौदा निरस्त फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, सं0 2049 से 2052, नकल नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 3.7.71, नकल नामान्तरकरण सं0 32 दिनांक 13.1.88, नकल गोदपत्र दिनांक 6.12.83 प्रस्तुत किए हैं।

पत्रावली दिनांक 25.5.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खानपुरबडौदा पर रखी गई।

राजस्व शिविर में वादीगण एवं प्रतिवादी मिथलेश व दीपकउपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण का दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने वादी रामेश्वर प्रसाद शर्मा, वादिया असरफी, प्रतिवादी मिथलेश, प्रतिवादी दीपक शर्मा, गवाह केदार लाल गुर्जर, गवाह मुरारीलाल गुर्जर के बयान कराए हैं तथा सरपंच ग्राम पंचायत खानपुरबडौदा का प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ओमप्रकाश पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसको जमाबंदी में से निरस्त किया जावे।

उपस्थित पक्षकारों को सुना गया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल नामान्तरकरण सं0 112 दिनांक 3.7.71 द्वारा मृतक गिर्राज प्रसाद की विरासत जगदीश, रामेश्वर, ओमप्रकाश के नाम दर्ज की गई है। वादीगण के वाद के अनुसार इसमें मृतक की पत्नि मु0 असरफी का नाम दर्ज नहीं किया गया है एवं ओमप्रकाश का नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि मृतक गिर्राज के ओमप्रकाश नाम का कोई पुत्र नहीं है, हरिओम नाम का पुत्र था जो मिश्रीलाल के गोद जा चुका है एवं यह बात गोदपत्र दिनांक 6.12.83 से स्पष्ट है। सरपंच ग्राम पंचायत ने भी यह प्रमाण पत्र दिया है कि ओमप्रकाश पुत्र गिर्राज प्रसाद ब्राह्मण गांव में कोई नहीं है। वादीगण के गवाहों ने एवं प्रतिवादीगण ने भी अपने बयानो में वादीगण के दावे की पुष्टि की है। इन सबसे वादीगण का दावा प्रमाणित है एवं डिक्री किए जाने योग्य है।

## आदेश

अतः लोक अदालत कैम्प खानपुरबडौदा में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बयान एवं वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 427 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 440 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 442 रकबा 0.02 है0 गै0 मु0 चाह ग्राम खानपुरबडौदा में दर्ज खातेदार ओमप्रकाश पुत्र गिर्राजप्रसाद हिस्सा

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

1/9 जाति ब्राह्मण का नाम हजफ कर इसके स्थान पर मु0 असरफी पत्नि निर्रोज जाति ब्राह्मण को हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.5.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खानपुरबडौदा में सुनाया गया ।

( बाबूलाल जाट )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

**(Civil Proceede Code, Appendix D-1)**

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र गिर्राज, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. मुअशरफी पत्नि गिर्राज, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. ओमप्रकाश पुत्र गिर्राज, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. हरिओम दत्तक पुत्र मिश्रीलाल, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर
4. लक्ष्मीकान्त पुत्र हरिचरण, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
5. जुगलकिशोर पुत्र हरिचरण, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
6. शान्ति बेवा हरिचरण, ब्राह्मण नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
7. सन्तराबेवा दामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
8. रामबाबू पुत्रदामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
9. राधामोहन पुत्रदामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
10. कल्लू पुत्रदामोदर, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
11. कमलेश पुत्री जगदीश, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
12. मिथलेशपुत्री जगदीश, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
13. सीमा पुत्री जगदीश, ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
14. दीपकपुत्र जगदीश नाबालिग संरक्षक माता खुद सीतादेवी पत्नि जगदीश ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
15. सीतादेवीपत्नि जगदीश,ब्राह्मण निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, एवं इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. —79 / 32016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्रीमती प्रतिभा सोनी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई मिथलेश, दीपक मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व लोक अदालत कैम्प खानपुरबडौदा में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बयान एवं वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

खा०नं० 427 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 440 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 442 रकबा 0.02 है0 गै0 मु0 चाह ग्राम खानपुरबडौदा में दर्ज खातेदार ओमप्रकाश पुत्र गिर्राजप्रसाद हिस्सा 1/9 जाति ब्राह्मण का नाम हजफ कर इसके स्थान पर मु0 असरफी पत्नि गिर्राज जाति ब्राह्मण को हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.5.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खानपुरबडौदा में जारी किया गया ।

( बाबूलाल जाट )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |